# <u>न्यायालय</u>— शरद जोशी, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 230 / 2018 आर.सी.टी. कं. 218 / 18 संस्थापन दिनांक—15.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

#### विरूद्ध

- 1. संजय पिता रेवसिंग उम्र 21 साल
- राजेन्द्र पिता सालकराम उम्र 27 साल, निवासीगण पिटावली तहसील हतोद, जिला इंदौर म.प्र.।

.....अभियुक्त

### / / निर्णय / /

## (आज दिनांक 15.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त संजय के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा— 279,337 एवं मो.यान अधिनियम की धारा 184, 3/181, 146/196 मो0यान अधिनियम एवं अभियुक्त राजेन्द्र के विरूद्ध मो.यान अधिनियम की धारा 5/180 के अंतर्गत दिनांक 19.04.2018 को समय 09:00 बजे स्थान—ए.बी. रोड बरूफाटक पर वाहन मोटरसाईकिल कं. एम.पी. 09 एम.एल. 7463 को बिना बीमा एवं चालक,चालक अनुज्ञप्ति के उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत्गण मिथुन,गीता,सानु एवं रोशन का मानव जीवन संकटापन्न करने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 19.04. 2018 को समय 09.00 बजे स्थान— ए.बी.रोड बरूफाटक पर सामने से एक मो.सा. वाला अपनी मो.सा. को तेजगति व लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर लाया

निरंतर.....

और फरियादी की मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मारी दी। टक्कर लगने से फरियादी की मोटरसाईकिल सहित फरियादी व उसकी पत्नी गीता, पुत्री सानु एवं पुत्र रोशन चारों रोडपर निचे गिर पडे। जिससे फरियादी के दाहिने हाथ की कलाई पर, उसकी पत्नी गीता को सिर व हाथ पैरों, पुत्र रोशन को सिर में व पुत्री को भी चोटे आयी है। उक्त विवेचना के आधार पर थाने के अप क0 141/18 पर रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। वाहन चालक के पास वाहन चलाने का लायसेस एवं वेध बीमा भी मौजूद नहीं था तथा वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को बगैर चालक अनुज्ञप्ति यान चलाने की अनुज्ञा भी तथा वाहन चालक द्वारा वाहन को ऐसे तरिके से चलाया जो साधारण जनता के लिये खतरनाक है। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अभियुक्तगण 1. संजय पिता रेवसिंग उम्र 21 साल 2. राजेन्द्र पिता सालकराम उम्र 27 साल, निवासीगण पिटावली तहसील हतोद जिला इंदौर म.प्र. ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्तगण को दंड के परिणाम से अवगत कराया गया और उन्हें समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त संजय तथा अभियुक्त राजेन्द्र के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अभियुक्त संजय ने अपने आधिपत्य की मोटरसाईकिल कं. एम.पी. 09 एम.एल. 7463 का परिचालन बिना बीमा के उपेक्षापूर्ण करने से मिथुन,गीताबाई,सानु व रोशन का मानव जीवन संकाटपन्न करना, आहत्गण को टक्कर मार कर स्वैच्छया उपहित कारित करना,वाहन को ऐसे तरिके से लोक मार्ग पर चलाया जो साधारण जनता के लिये खतरनाक है, वाहन को लोक मार्ग पर बिना चालन अनुज्ञप्ति के चलाना तथा अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन को बगैर चालक अनुज्ञप्ति के अभियुक्त संजय को यान चलाने के अनुमित देना स्वीकार, किया है। अतः स्वैच्छया पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्तगण की भादसं की धारा 279,337 एवं 184 3/181,5/180 व 146/196 मो0यान अधि0 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त संजय को भादसं की धारा 279,337 में कंमशः 1000 व

### आप.प्र.क. 230 / 2018 / / 3 / / आर.सी.टी.कं. 218 / 18 संस्थापन दिनांक 15.05.2018

500 / — रूपये एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184, में 500 / —, धारा 3 / 181 में रूपये 300 / —, धारा 146 / 196 में 500 / — रूपये, तथा अभियुक्त राजेन्द्र को मो.यान अधिनियम की धारा 5 / 180 में 500 / — इस प्रकार कुल रूपये 3,300 / — के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर अभियुक्त संजय को कमशः 07, 03, 07,07,03 दिवस का प्रथक—प्रथक तथा अभियुक्त राजेन्द्र को 07 दिवस का प्रथक कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा वाहन **मोटरसाईकिल कं. एम.पी. 09 एम.एल. 7463** उसके रिजस्टर्ड स्वामी को दस्तावेज सिहत वापिस किया जावे।
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन व बोलने पर
व दिनांकित कर घोषित किया गया टंकित किया गया।

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0 सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0